

**न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला****भिण्ड (म0प्र0)****आपराधिक प्रक0क्र0-215/10****संस्थित दिनांक-26.04.10**

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

महेन्द्र उर्फ दिलीप पुत्र श्रीराम बघेले उम्र 31 साल

निवासी काली अहरौली थाना अटेर जिला भिण्ड

.....अभियुक्त

**--:: निर्णय ::--****{आज दिनांक 21.11.2017 को घोषित}**

अभियुक्त पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1-बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 16.01.10 को 12:30 बजे स्कूल के पास ग्राम पढराई में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर की अधिया व एक राउण्ड रखा, जिसे रखने का उसके पास कोई वैध लायसेंस नहीं था।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 16.01.10 को थाना प्रभारी एण्डोरी डी0एल0 धनेले इलाका गश्त पर गए थे, जहां मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त महेन्द्रसिंह 315 बोर की अधिया लिए स्कूल के पास बैठा है। मुखबिर की बताई सूचना पर पहुंचे तो अभियुक्त ग्राम पढराई में स्कूल की दीवाल के पास हाथ में अधिया लिए बैठा दिखा जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा। अधिया चैक करने पर कारतूस भी मिला। जिसे रखने का लायसेंस पूछे जाने पर लायसेंस न होना बताया। समक्ष गवाहान अभियुक्त से उक्त आग्नेय आयुध जप्त कर जप्तीपत्रक बनाया, गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। थाने लाकर अपराध क्रमांक 07/10 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुशंधान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, कट्टा कारतूस की जांच कराई गयी, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी, बाद अनुशंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.01.10 को 12:30 बजे स्कूल के पास ग्राम पढराई में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर की अधिया व एक राउण्ड रखा, जिसे रखने का उसके पास कोई वैध लायसेंस नहीं था ?

**-:: सकारण निष्कर्ष ::-**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में महेशसिंह असा0 1, डी0एल0 धनेले असा0 2, सुरेश दुबे असा0 3, योगेन्द्रसिंह असा0 4, भूरेसिंह असा0 5, नारायण प्रसाद असा0 6 को परिक्षित कराया गया। जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

6. डी0एल0 धनेले असा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 16.01.10 को वे थानाप्रभारी एण्डोरी के रूप में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को इलाका भ्रमण हेतु गए थे। गश्त में मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त 315 बोर की अधिया लिए पढराई स्कूल के पास बैठा है। उक्त सूचना से स्टाफ को अवगत कराकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो अभियुक्त हाथ में अधिया लिए दीवाल के सहारे बैठा था। उससे अधिया व राउण्ड पकड़ा, जिसे रखने का लायसेंस पूछने पर लायसेंस न होना बताया। कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 बनाया जिस पर बी से बी भाग पर उसके तथा गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् थाने आकर अप0क0 7/10 पर अपराध पंजीबद्ध किए जाने जो प्र0पी0 4 होने, जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। न्यायालय में साक्ष्य दौरान प्रस्तुत कट्टा आर्टीकल ए1 व कारतूस आर्टीकल ए2 जब्त किए जाने का तथ्य बताते हैं।

7. जब्ती साक्षी महेशसिंह असा0 1 एवं भूरेसिंह असा0 5 दोनों ही अभियुक्त से कोई कट्टा व कारतूस जब्त होने का समर्थन नहीं करते। यद्यपि प्र0पी0 1 व 2 पर क्रमशः ए से ए व सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। उक्त साक्षीगण को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण इस तथ्य से इंकार करते हैं कि दिनांक 16.01.10 को दोपहर 12:30 बजे उनके समक्ष अभियुक्त महेन्द्र से कोई कट्टा व कारतूस जब्त हुआ था। साक्षीगण पुलिस कथन क्रमशः प्र0पी0 3 एवं 7 के विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर अभियुक्त से आग्नेय आयुध की जब्ती के संबंध में कोई समर्थन नहीं करते हैं। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया इस कारण से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं हैं। साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस

साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाए, बल्कि उक्त साक्ष्य को भी साधारण साक्षी की भांति समर्थन एवं विश्वास का आधार होना आवश्यक है।

8. डी0एल0 धनेले के अतिरिक्त नारायण प्रसाद अ0सा0 6 ने भी दिनांक 16.01.10 को थाना प्रभारी श्री डी0एल0 धनेले के साथ इलाका भ्रमण हेतु जाने, मुखबिर से सूचना मिलने, पढराई स्कूल के पास अभियुक्त का दीवाल के सहारे अधिया लिए बैठा होना तथा उसे घेरकर पकड़ने पर अधिया व कारतूस जब्त किए जाने का कथन किया है। साक्षी थाना प्रभारी श्री धनेले का हमराह साक्षी है, जो उसके समक्ष जब्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही होने का कथन करता है। यद्यपि उसके प्र0पी0 01 व 02 पर कोई हस्ताक्षर नहीं है और न ही प्र0पी0 04 की प्राथमिकी में उसकी उपस्थिति के संबंध में तथ्य लेख है। यहां तक कि साक्षी महेश अ0सा0 01 एवं भूरे सिंह के अ0सा0 05 के कथन प्र0पी0 03 व 07 में भी उक्त साक्षी के उपस्थिति के संबंध में कोई तथ्य लेख नहीं है। साक्षी नारायण प्रसाद अ0सा0 06 प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होना बताते हैं, जो मौके पर मौजूद महेश और भूपसिंह के समक्ष जब्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही कण्डिका 04 में होना बताते हैं, जबकि उसके पुलिस कथन में उक्त व्यक्तियों के संबंध में कोई तथ्य लेख नहीं है।

9. प्रकरण में जहां किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया, वहीं ऐसी दशा में अभियोजन का मामला पुलिस साक्षी मूलतः थाना प्रभारी डी0एल0 धनेले अ0सा0 02 के कथन पर निर्भर हो जाता है। डी0एल0 धनेले अ0सा0 02 एवं नारायण अ0सा0 06 कण्डिका 03 में यह बताने में असमर्थन है कि वे थाने से कितने बजे रवाना हुए थे। डी0एल0 धनेले स्वीकार करते हैं, कि थाने से रवाना और बापसी पर रोजनामचा सान्हा में में इन्द्राज किया जाता है किन्तु किस सान्हा नम्बर पर इन्द्राज कर रवाना हुए एवं बापस हुए इस संबंध में कथन करने में असमर्थन हैं। नारायण प्रसाद अ0सा0 06 भी बताने में असमर्थन है कि किस रोजनामचा सान्हा पर प्रविष्टि की गई बल्कि यह भी बताने में असमर्थन है, कि रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि की गई थी या नहीं। प्रकरण के अभिलेख में थाने से रवाना होने एवं बापस थाने के सुसंगत रोजनामचा सान्हा को न तो उल्लेखित किया गया है और न ही प्रस्तुत व प्रमाणित किया गया है। स्वतंत्र साक्ष्य से अभिपुष्टि के अभाव में की गई कार्यवाही को सुसंगत कर्तव्य के दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता था किन्तु प्रकरण में उक्त तथ्य का नितांत अभाव है।

10. प्रकरण में डी0एन0 धनेले अ0सा0 02 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 05 में कथन करते हैं कि उन्हें मुखबिर की सूचना मोबाईल से प्राप्त हुई थी, उस समय वह पडरई पुरा में थे। यह कथन करते हैं कि उन्होंने मुखबिर से प्राप्त सूचना को थाना पर अवगत नहीं कराया। उक्त साक्षी द्वारा अभिकथित मुखबिर की सूचना के आधार पर थाने पर क्यों सूचना नहीं दी, इसका कोई समुचित कारण दर्शित नहीं होता है न ही सूचना के आधार पर कोई देहाती नालसी या सूचना का प्रारूप लेख किया गया।

नारायण अ0सा0 06 जो कि थाना प्रभारी के साथ भ्रमण हेतु बनाते है, वे यह भी बताने में असमर्थ हैं कि थाने से किस साधन से गस्त हेतु गये थे। यह बताने में असमर्थ हैं कि स्कूल के पास किन-किन लोगों के मकान बने, स्कूल का मैन गेट किस दिशा में है। यदि डी0एल0 धनेले अ0सा0 02 के कथन को माना जाये तो उसके अनुसार थाने से मोटर साईकिल से रवाना हुए थे। नारायण अ0सा0 04 के अनुसार थाना प्रभारी के पास पिस्टल और उसके पास साईफल थी इसके अलावा बेग भी था, तो फिर वे अभियुक्त को किस प्रकार थाने तक लाये, इस संबंध में तथ्य स्पष्ट नहीं है।

11. जब्ती पत्रक प्र0पी0 01 के संबंध में डी0एल0 धनेले अ0सा0 02 यह कथन करते हैं कि वे अभियुक्त को मय कट्टा व कारतूस थाना लेकर आये थे किन्तु प्र0पी0 01 में आग्नेय आयुध को सील बंद किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, न ही नमूना सील कॉलम नम्बर 13 में अंकित है। ऐसे में कथित आग्नेय आयुध आर्टिकल ए-1 और ए-2 किस अवस्था लाया गया, यह तथ्य संदिग्ध हो जाता है। सुरेश दुबे अ0सा0 03 जो आरमोरर हैं वे अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि दिनांक 04.02.2010 को एक 315 बोर का कट्टा व कारतूस संबंधित अपराध में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसे उन्होंने जांच में एक्शन चालू हालत में होने के संबंध में पाया था। साथ ही जब्तशुदा कारतूस फायर योग्य पाया था। कट्टा व कारतूस प्रधान आरक्षक 364 राधाकिशन द्वारा सीलबंद कपड़े में जांच हेतु प्रस्तुत किया जो उसी कपड़े में सीलबंद बापस किया गया था। साक्षी द्वारा कट्टा व कारतूस को सीलबंद कपड़े में प्राप्त किये जाने का कथन किया था जबकि कट्टा व कारतूस को यदि जब्ती पत्रक प्र0पी0 01 के अनुसार सीलबंद नहीं किया गया तो जो आग्नेय आयुध आरमोरर के पास पहुंचाया गया, वह कौन सा था। यह संदेह उत्पन्न करता है।

12. प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कथित जब्तशुदा आग्नेय आयुध को थाने के किस माल नम्बर पर जमा किया गया था, सम्पूर्ण अभियोग पत्र में अभाव है। आरमोरर सुरेश दुबे अ0सा0 03 अपने कथन में बताते हैं कि कट्टा व कारतूस के संबंध में थाने का कोई पत्र संलग्न नहीं है न ही जांच रिपोर्ट प्र0पी0 05 में सुसंगत व सन्दर्भित पत्र का जावक क उल्लेखित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधान आरक्षक राधाकृष्ण के प्र0पी0 पर प्रस्तुतकर्ता के रूप में हस्ताक्षर नहीं कराये गये हैं। ऐसी दशा में उक्त जांचशुदा कट्टा व कारतूस अभियुक्त से जब्त किया गया। इस संबंध में संदेहपूर्ण तथ्य प्रस्तुत होते हैं।

13. योगेन्द्र दुबे अ0सा0 04 की अभिसाक्ष्य औपचारिक प्रकृति की है। दिनांक 03.03.2010 को तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश प्र0पी0 06 दिया जाना जिस पर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी एवं बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। उनकी साक्ष्य धारा 47 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन कारोबार के अनुक्रम में हस्तलिपि व हस्ताक्षर से परिचित साक्षी के रूप में सुसंगत व प्रमाणित है, किन्तु उक्त प्रमाण



अभियुक्त पर उसके ज्ञानयुक्त आधिपत्य में आग्नेय आयुध संधारित किये जाने के आरोप को प्रमाणित किये जाने हेतु पर्याप्त नहीं है।

14. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व

अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि “विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए “सत्य हो सकेगा” की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से “सत्य होना चाहिए” के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।”

15. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 16.01.10 को 12:30 बजे स्कूल के पास ग्राम पढरार्ई में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से एक 315 बोर की अधिया व एक राउण्ड रखा, जिसे रखने का उसके पास कोई वैध लायसेंस नहीं था। अतः अभियुक्त को अधिनियम की धारा 25-1-बी-ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्त की जमानत व मुचलका भारहीन किये जाते हैं। द0प्र0सं0 की धारा 437-ए की जमानत निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

17. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस अपील अवधि पश्चात् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को नियमानुसार विनिष्ट करने हेतु प्रेषित किया जावे। अपील होने की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

18. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश